



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 68 / SEIAA/2022

Date: 9/4/22

प्रति,

श्री आलोक सक्सेना,
निवासी- जवाहर रोड़, नौगॉव,
जिला छतरपुर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 2141/2014 : परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सक्सेना, निवासी- जवाहर रोड़, नौगॉव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 53378 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 119, ग्राम लहेरा, तहसील -छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स सियाराम सरकार ओर्स, संचालक श्रीमती समिता नीखरा, फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 07, हरिओर कॉलोनी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण मे राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 696 वी बैठक दिनांक 10.12.21 में लिये गये निर्णय उपरांत प्रधिकरण की 715 वी बैठक दिनांक 25.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 07.03.2022 को July - Dec 2015 to July-Dec 2021 तक का पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन MPSEIAA को प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार उपरांत सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Delist किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अभिप्रमाणित कराकर सिया कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधितों को सूचित किया जायें।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण Delist किया जाता है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अभिप्रमाणित कराकर सिया कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 69 /SEIAA/2022 दिनांक - 9/4/22
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - छतरपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - छतरपुर (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केंद्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - छतरपुर (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।